उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–40/2008–09

राम टुडू

बनाम्

लखीराम टुडू वगै0

–: आदेश :–

दिनांक 18/7/23

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता राम टुडू, पे0– स्व0 मटरू टुडू, सा0–बहादुरचक, अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के पी0ए0 केश नं0–08/2001–02 आदेश दिनांक–18.02.2008 के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0–08/2001–02 के आदेश दिनांक–18.02.2008 के द्वारा लखीराम टुडू को मौजा–बहादुरचक का प्रधान नियुक्त किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बहादुरचक प्रधानी मौजा है। मौजा–बहादुरचक के गत प्रधान गुणा टुडू थे। गत प्रधान गुणा टुडू का वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है :–

मटरू टुडू

गुणा टुडू प्रधान	खैरू टुडू	राम टुडू
(नावल्द मृत)	(नावल्द मृत)	अपीलकर्त्ता

उनका आगे कहना है कि वंशावली से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता राम टुडू गत प्रधान गुणा टुडू के अपना भाई है। गत प्रधान का अपना भाई होने के कारण अगला वारिश के आधार पर अपीलकर्त्ता का ही दावा बनता है। जबकि उत्तरवादी का गत प्रधान से कोई संबंध नहीं है। इसलिए उत्तरवादी का दावा अगला वारिश के आधार पर नहीं बनता है। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी को गाँव में जाकर व्यक्तिगत रूप से पुछताछ करके प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए था। पुछताछ से स्पष्ट होता कि गत प्रधान गुणा टुडू का भाई राम टुडू है। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने सही प्रतिवेदन नहीं किया। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में लखीराम टुडू को गत प्रधान गुणा टुडू का भाई बताया है। जबकि लखीराम टुडू गत प्रधान का अपना

भाई नहीं है। उनका आगे कथन है कि उक्त मौजा के प्रधान नियुक्ति के पूर्व निम्न न्यायालय के द्वारा मौजा के सौलह आना रैयतों को सही तरीका से नोटिश का तामिला भी नहीं कराया। बल्कि कुछ व्यक्ति का टीप निशान ले लिया गया है, जिस कारण से मौजा के सौलह आना रैयतों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उत्तरवादी लखीराम टुडू को मौजा–बहादुरचक के प्रधान के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। मौजा में प्रधान नियुक्ति के लिए दो–तिहाई रैयतों को जानकारी होना चाहिए कि मौजा में प्रधान नियुक्त किया जा रहा है। निम्न न्यायालय के द्वारा बिना सुनवाई किये ही दिनांक–18.02.2008 को आदेश हेतु रखा गया। लेकिन न्यायालय में दिनांक–18.02.2008 को आदेश पारित नहीं किया गया है। बल्कि बाद में आदेश पारित किया गया। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को खारिज करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के अपने लिखित बहस में उल्लेख किया है कि मौजा–बहादुरचक जमाबंदी संख्या–01 कांदना टुडू के नाम से दर्ज है। कांदना टुडू मौजा के प्रथम प्रधान थे। कांदना टुडू की मृत्यु नावल्द होने के कारण उनका भतीजा गुणा टुडू मौजा–बहादुरचक के प्रधान नियुक्त हुए। संयोग से गुणा टुडू की भी मृत्यु नावल्द हो गयी। इसलिए गुणा टुडू के मृत्यु के बाद कांदना टुडू के तीसरा भाई नैकी टुडू के पोता एवं गत प्रधान गुणा टुडू के भतीजा उत्तरवादी लखीराम टुडू उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल किया, जिसके आधार पर पी0ए0 केश नं0–08/2001–02 संधारित किया गया एवं अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मौजा के सौलह आना रैयतों को नोटिश देने के बाद रैयतों की ओर से कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उत्तरवादी प्रथम पक्ष को संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत मौजा–बहादुरचक का प्रधान नियुक्त किया गया है। उनका आगे कहना है कि संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 में प्रधान के पद को वंशानुगत माना गया है। मौजा–बहादुरचक के खतियानी प्रधान कांदना टुडू थे। उत्तरवादी प्रथम पक्ष कांदना टुडू के परिवार के सदस्य हैं। इसलिए उत्तरवादी प्रथम पक्ष का भी वंशानुगत दावा बनता है और निम्न न्यायालय के द्वारा वंशानुगत आधार पर उत्तरवादी प्रथम पक्ष को मौजा–बहादुरचक का

प्रधान नियुक्त किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज करने योग्य है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के पत्रांक–29/रा0 दिनांक–08.01.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलकर्त्ता राम टुडू, पिता–स्व0 मटरू टुडू, साकिन–बहादुरचक मृत प्रधान गुणा टुडू(नावल्द) के छोटा भाई है, जिसके द्वारा वंश के आधार पर प्रधान के पद पर नियुक्त होने का दावा किया गया है। परन्तु गुणा टुडू प्रधान की मृत्यु के बाद अपीलकर्त्ता द्वारा पूर्व में प्रधान नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं दिया गया था। वंशानुगत परम्परा के आधार पर प्रधान नियुक्ति हेतु प्रधान की मृत्यु के बाद उक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने की निर्धारित अवधि होती है, जिसके अन्तर्गत अपीलकर्त्ता द्वारा आवेदन सक्षम न्यायालय में अथवा अंचलाधिकारी के समक्ष समर्पित नहीं किया गया था। जिस कारण उक्त मौजा में प्रधानी पद रिक्त रहने के कारण वर्तमान नियुक्त प्रधान लखीराम टुडू, पिता–स्व0 मुंशी टुडू द्वारा प्रधानी बहाली के लिए आवेदन दिया गया था, जिसे अंचल कार्यालय, ठाकुरगंगटी के पत्रांक–312/रा0 दिनांक–13.12.2007 के द्वारा प्रधानी नियुक्ति हेतु पत्र का प्रेषण न्यायालय में किया गया था, जिसमें सौलह आना रैयतों अथवा अपीलकर्त्ता राम टुडू के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गयी थी। वर्तमान में कार्यरत प्रधान लखीराम टुडू खाता नं0–01 के खतियानी रैयत कन्दना टुडू वल्द चतुर टुडू के प्रधानी जोत के अन्तर्गत खतियानी रैयत के वंशज के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के अन्तर्गत आवेदन पत्र देकर प्रधानी पद पर नियुक्त हुए हैं।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के पत्रांक–540/रा0 दिनांक–27.08.2021 से पुनः जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि मौजा–बहादुरचक नं0–273 जमाबंदी नं0–02 कुल रकवा 23–03–02 धुर जमीन सर्वे खतियान में खतियानी रैयत कान्दना टुडू प्रधान वो रोशना टुडू वो नैकी टुडू, पेशरान चतुर टुडू वो दुखू टुडू पेशरान राम टुडू कौम संताल शा0 देह वो प्रधान का जोत बोलकर दर्ज है। खतियानी

रैयत कान्दना टुडू प्रधान वो रोशना टुडू वो नैकी टुडू, पेशरान चतुर टुडू की वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है :–

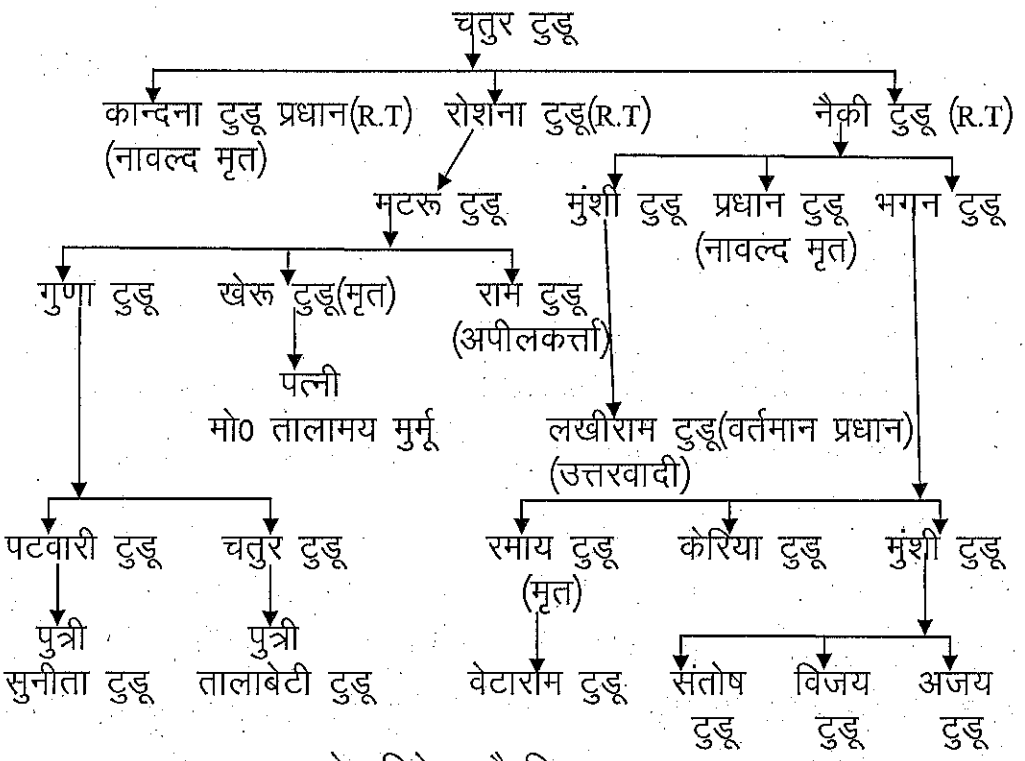

उनका आगे प्रतिवेदन है कि :–

1. गुणा टुडू वो राम टुडू, पे0–मटरू टुडू खतियानी रैयत रोशना टुडू के पोता है एवं सहोदर भाई है।
2. लखीराम टुडू, पे0–मुंशी टुडू खतियानी रैयत नैकी टुडू के पोता है तथा वर्तमान में कार्यरत प्रधान है।
3. राम टुडू, पे0–मटरू टुडू खतियानी रैयत रोशना टुडू के पोता है तथा लखीराम टुडू, पे0–मुंशी टुडू खतियानी रैयत नैकी टुडू के पोता है।
4. राम टुडू एवं लखीराम टुडू एक ही खानदान के अलग–अलग खतियानी रैयत के पोता है एवं चचेरे भाई हैं।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बहादुरचक नं0–273 प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के गत प्रधान गुणा टुडू थे। गत प्रधान गुणा टुडू की मृत्यु के बाद उत्तरवादी लखीराम टुडू के द्वारा प्रधानी पद पर आवेदन किया गया एवं अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरवादी को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया था। लेकिन वर्तमान अपील वाद में अपीलकर्त्ता राम टुडू का दावा है कि अपीलकर्त्ता ही एक मात्र सहोदर भाई है एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के

तहत उनका ही दावा बनता है। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता गत प्रधान गुणा टुडू के सहोदर भाई है। ऐसी स्थिति में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 एवं नियमावली 1950 के अनुसूची V के Next heir के आधार पर अपीलकर्त्ता का दावा विचारणीय योग्य प्रतीत होता है। अतएव इस आधार पर पी0ए0 केश नं0–8/2001–02 में दिनांक–18.02.2008 का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–8/2001–02 में दिनांक–18.02.2008 के आदेश को निरस्त किया जाता है एवं पुनर्विचार हेतु अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा रिमाण्ड किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:38:01 +05:30
Location: 172.21.32.1